

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/9/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि
₹ 1,79,13,672/- (एक करोड़ उन्नासी लाख तेरह हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,79,13,672/- (एक करोड़ उन्नासी लाख तेरह हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01	भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी	34281	व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी में विशेष न्यायालय (Excise Court) भवन के निर्माण कार्य	5534/ 05.09.24	11337321 (एक करोड़ तेरह लाख सैंतीस हजार तीन सौ इक्कीस रुपये)
02	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	34257	व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के विभिन्न कोर्ट एवं अन्य न्यायिक भवनों में Fire Fighting का कार्य	6219/ 03.10.24	5487744 (चौवन लाख सत्तासी हजार सात सौ चौवालीस रुपये)
03	पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर	32923	Construction of Approach Road from Lawyer's Hall to Civil Court, Paliganj for the year 2025-26	6290/ 26.09.25	1088607 (दस लाख अठासी हजार छः सौ सात रुपये)
कुल राशि					17913672

(एक करोड़ उन्नासी लाख तेरह हजार छः सौ बहत्तर रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0105-न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) विपत्र कोड-03-4059800510105 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण-0105.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(मनजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।